अनुबंध II.1
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किए गए पहल - 2007-08

2007-08 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने रिज़र्व बैंक के विनियामक परिदृश्य के तहत आनेवाली वित्तीय संस्थाओं के खंडों के बारे में अपनी पर्यवेक्षी भूमिका अदा करना जारी रखा। 2007-08 (जुलाई-जून) के दौरान बीएफएस की 10 बैठकें हुईं तथा किए गए प्रमुख पहल नीचे दिए गए हैं।

(i) बीएफएस ने अन्य बातों के साथ-साथ भू-संपदा क्षेत्र को बैंकों के एक्सपोजर में हुई अभूतपूर्व वृद्धि तथा संबंधित मुद्दों यथा अनुचित प्रलेखीकरण, धोखाधड़ी, अनर्जक आस्तियों की घटना तथा साम्यिक बंधकों के लिए पंजीकरण की प्रणाली के अभाव के बारे में विचार-विमर्श किया। रिज़र्व बैंक इस मामले में बैंकों को संवेदनशील बना रहा है तथा अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता, समुचित सावधानी और उचित प्रलेखीकरण की जरूरत पर बल दे रहा है। बीएफएस के कहने पर एनएचबी को सूचित किया गया है कि वह इस मामले की बेहतर तसवीर प्राप्त करने के लिए आवास ऋणों के लिए की गई व्यवस्था का अध्ययन करे।

(ii) विदेश स्थित भारतीय बैंक की कार्यप्रणाली में प्राप्त अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंकों द्वारा किसी भी देश में जहां उनकी उपस्थिति हो विदेशी विनियामक उल्लंघन/भंग की घटनाओं तथा संबंधित मुद्दों की मासिक रिपोर्ट उनके निदेशक मंडलों को तथा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की प्रणाली शुरू की गई। यह निर्धारण इस संबंध में रिपोर्टिंग संबंधी मौजूदा अपेक्षाओं के अतिरिक्त है तथा बैंक का अनुपालन अधिकारी इस रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार की पृष्ठभूमि में, बीएफएस ने इच्छा प्रकट की थी कि भारत में अनर्जक आस्तियों के वर्तमान परिदृश्य के विकास की कहानी को प्रलेखित कर तथा अनर्जक आस्तियों को कम करने के लिए विनियामक तथा संस्थागत प्रयासों को रेखांकित कर इस उपलब्धि के ऊपर एक वृत्त अध्ययन (केस स्टडी) किया जाए। तदनुसार, अनर्जक आस्ति प्रबंधन के बारे में व्यापक अध्ययन किया गया जिसमें सुधार से पहले और बाद की अवधि की स्थिति तथा इस क्षेत्र में हुए विधायी, विनियामक और संस्थागत परिवर्तनों को शामिल किया गया।

(iv) बीएफएस ने महसूस किया कि क्रमिक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों में उल्लिखित सामान्य और आवर्ती कमियों का प्रभाव भारत में कारपोरेट अभिशासन के स्तर पर पड़ा तथा यह निदेश दिया कि असुविधा/शासन संबंधी मुद्दों की स्थिति की जांच बैंक-वार की जाए। तदनुसार, कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए अलग फार्मेट तैयार किए गए, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत शामिल मुद्दों, सेबी द्वारा निर्धारित सूचीबद्धता करार के खंड 49, गांगुली समिति की सिफारिशों तथा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को शामिल किया गया।

(v) बीएफएस ने बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया तथा बैंकों को निदेश दिया कि वे वसूली लागत स्पष्ट तौर पर सूचित करें और यह साबित करें कि अनर्जक आस्तियों की बिक्री का निर्णय लेते समय प्रतिभूतियों के निवल वसूलीयोग्य मूल्य के एनपीवी की तुलना में निपटान की राशि अधिक है।

(vi) बैंकों द्वारा सेवाओं की आउटसोर्सिंग के मामले में, बीएफएस ने निदेश दिया कि इस मुद्दे के दिशानिर्देशों में आउटसोर्सिंग संबंधी संविदाओं में प्रवर्तनीयता संबंधी अपेक्षाओं पर स्पष्ट तौर पर बल देना चाहिए। आउटसोर्सिंग संविदा संबंधी सभी प्रलेख निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बैंकों के स्तर पर यह बाध्यकारी होगा कि वे आउटसोर्सिंग एजेंसियों को अपनी आंतरिक लेखा-परीक्षा के तहत शामिल करें और इस संबंध में पुष्टि रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाणपत्र रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

(vii) संवेदनशील क्षेत्रों में बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में एसआरपी के दो दौर हुए। भू-संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर के संबंध में बैंकों को सूचित किया गया कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करें

जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे एक्सपोजरों के लिए आंतरिक सीमा, बिल्डरों के लिए न्यूनतम रेटिंग, प्रवर्तकों के अंशदान का न्यूनतम हिस्सा, अपेक्षित प्रतिभूति कवर, मूल्यन रिपोर्टें देने के लिए अनुमोदित मूल्यनकर्ताओं का पैनल, तथा प्रलेखों के पंजीकरण और प्राधिकारियों के पास पंजीकरण के सत्यापन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई हो।

(viii) बैंकों द्वारा प्रतिभूति के रूप में ली गई संपत्ति/भूमि के लिए अपनायी जानेवाली मूल्यन पद्धति जैसे मामलों पर अनुदेश जारी करने की प्रभावशीलता पर ब्यौरेवार विचार-विमर्श के बाद, एबीएफएस ने बैंकों को सूचित किया कि वे मूल्यन प्रयोजन के लिए भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य को ध्यान में रखें। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण जारी किया।

(ix) बीएफएस ने कुछ कंपनियों द्वारा उनके द्वारा किए गए क्रास करेंसी डेरिवेटिव पर काफी मात्रा में हुई हानियों के बारे में प्रेस रिपोर्टों को नोट किया। उक्त हानि अन्य यूरोपीय मुद्राओं तथा येन की तुलना में डालर के मूल्य में निरंतर गिरावट के कारण हुई। बीएफएस के निदेश पर अधिक तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरवाले बैंकों की पहचान की गई और एक्सपोजर के स्वरूप तथा वर्तमान परिदृश्य में उसके समग्र प्रभाव के बारे में एक अध्ययन किया गया।

(x) उच्चतर ब्याज दरों पर बड़ी मात्रा में जमाराशियां स्वीकार करने की बैंकों की बढ़ती प्रवृत्ति पर बीएफएस ने ध्यान दिया तथा उसने इस प्रकार की जमाराशियों के बारे में रिज़र्व बैंक के सहनीय स्तर के बारे में उनसे प्रश्न किया। एक अध्ययन किया गया जिसमें यह प्रकट हुआ कि विदेशी बैंकों, विशेष तौर पर सीमित खुदरा जमा आधार वाले बैंकों, के मामले में कुछ बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों के संकेंद्रण का जोखिम अधिक था। निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों के पास भी संकेंद्रण जोखिम अधिक मात्रा में था, जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह जोखिम कम था। पिछले तीन वर्षों में संकेंद्रण जोखिम का स्तर उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित नहीं हुआ था। अन्य बैंक समूहों की तुलना में निजी क्षेत्र के नए बैंकों ने जमाराशियों के आकार से निरपेक्ष उच्चतर ब्याज दरें अदा कीं। यद्यपि विदेशी बैंकों ने निम्नतम ब्याज दरें अदा कीं, थोक जमाराशियों में चालू जमाराशियों का अनुपात काफी अधिक था। थोक चालू जमाराशियों सहित थोक जमाराशियों पर तथा अल्पावधि मुद्रा बाजार पर निर्भरता ने विदेशी बैंकों के सामने चलनिधि और आय संबंधी उल्लेखनीय जोखिम उत्पन्न कर दिया।

(xi) सितंबर 2007 को समाप्त छमाही के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समीक्षा पर विचार विमर्श करते हुए, बीएफएस ने निदेश दिया कि निम्नलिखित की जांच के लिए एक विशेष अध्ययन किया जाए - (क) अग्रिमों तथा जमाराशियों पर केंद्रवार, क्षेत्रवार आंकड़े जिसमें उन क्षेत्रों को सूचित किया जाएगा जिनमें सुदृढ़ वृद्धि हो रही है; (ख) क्या खुदरा क्षेत्र में ऋण वृद्धि में कमी आई है; (ग) क्या उस क्षेत्र में अनर्जक आस्तियां बढ़ रही थीं; तथा (घ) क्या मूल सांख्यिकीय विवरणी संबंधी आंकड़ों जैसे अन्य स्रोतों के जरिए संकलित आंकड़ों के साथ आंकड़े मिलाए गए। अध्ययन किया गया है तथा रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

अनुबंध VII.1
वित्तीय स्थिरता फोरम (एफएसएफ) रिपोर्ट : स्थिति

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल के परिप्रेक्ष्य में एफएसएफ ने अप्रैल 2008 में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की कमियों तथा उनके कारणों को चिह्नित किया गया है। एफएसएफ द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव तथा भारत में हर एक के संबंध में स्थिति नीचे वर्णित है:

प्रस्ताव 1.पूंजी, चलनिधि और जोखिम प्रबंधन का मजबूत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण

- *कतिपय जटिल ऋण उत्पादों के लिए बासेल II पूंजी आवश्यकताएं बढ़ाना;*
- *चूककर्ता के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रभार तथा बैंकों और प्रतिभूति फर्मों की व्यापार बहियों में प्रासंगिक जोखिम लागू करना;*
- *तुलनपत्रेतर मदों के प्रति चलनिधि सुविधाओं की पूंजी की व्यवस्था को मजबूत बनाना*

कष्टदायी अल्पकालीन तनावों को टालने हेतु कुछ समय में परिवर्तन कार्यान्वित किये जाएंगे।

(ii) चलनिधि :

चलनिधि जोखिमों के पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।

(iii) जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण

बासेल II के अधीन पर्यवेक्षी समीक्षाओं के लिए दिशानिर्देश विकसित किये जाएंगे जो :

- *फर्म-व्याप्त जोखिमों की पहचान तथा उनके प्रबंधन की निगरानी को सुदृढ़ करेंगे;*
- *जोखिम प्रबंधन और पूंजी आयोजना प्रयोजनों के लिए बैंकों की तनाव जांच करनेवाली प्रणालियों का दृष्टिकोण मजबूत बनाएंगे;*
- *बैंकों से स्वस्थ प्रबंध तथा तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों की रिपोर्ट करना आवश्यक बनाएंगे।*

पर्यवेक्षक बासेल II का उपयोग बैंक के जोखिम प्रबंधन और पूंजी बफर्स और संभाव्य ऋण हानियों के अनुमान को सुनिश्चित करने के लिए करेंगे।

(iv) ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव्ज़

प्राधिकारी बाज़ार सहभागियों को ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव्ज़ के लिए निपटान, विधिक और परिचालनगत बुनियादी सुविधा सुदृढ़ है, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्वर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ।

स्थिति

भारत में बासेल II के कार्यान्वयन के लिए देश-विशेष की स्थितियों के अनुकूल रूपरेखा तैयार की गयी है। 31 मार्च 2008 से भारत में परिचालित विदेशी बैंकों और भारत के बाहर परिचालनगत अस्तित्व रखनेवाले भारतीय बैंकों को बासेल II समझौता लागू किये जाने से चरणबद्ध कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अन्य सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को उनके अनुरूप बासेल II में किसी भी हालत में 31 मार्च 2009 तक अंतरित होने के लिए प्रोत्साहित किया है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया की सही स्थिति का पता लगाने और परिमार्जित करने के लिए उस पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

भारत में जोखिम-भारित आस्तियों के प्रति न्यूनतम पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 9 प्रतिशत पर रखी गयी है, जो बासेल II आवश्यकताओं से एक प्रतिशतता अंक अधिक है। भारत में, प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन के लिए एसपीवीज़ के रूप में तुलनपत्रेतर माध्यम अस्तित्व में है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप व्यापक दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस तरह के एसपीवी को दी जाने वाली नकदी सुविधाओं पर पूंजीगत प्रभार लगाए जाते हैं। बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे विभिन्न जोखिम कारकों के लिए 31 मार्च 2008 तक उचित दबाव परीक्षण नीतियां और सुसंगत दबाव परीक्षण ढांचा तैयार कर लें।

पूंजीगत अपेक्षाओं में और मजबूती लाने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि डेरिवेटिव सहित तुलनपत्र की अन्य विशिष्ट मदों के लिए ऋण परिवर्तन कारक, जोखिम भार और प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं की समीक्षा की जाए। इसके अलावा, भारत में कृत्रिम प्रतिभूतिकरण जैसी जटिल संरचनाओं को अब तक अनुमति नहीं दी गई है। उचित पाए जाने पर ऐसे उत्पादों का प्रयोग व्यवस्था की जोखिम प्रबंधन क्षमता के अधीन होगा ।

रिज़र्व बैंक ने आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे और बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार जोखिम प्रबंधन की अपनी रणनीति तैयार कर लें। तथापि, लघु अवधि के नकदी जोखिमों के संबंध में रिज़र्व बैंक ने प्रणालीगत स्तर के साथ ही संस्थागत स्तर पर जोखिम कम करने के लिए उपाय किए हैं। रिज़र्व बैंक ने नकदी जोखिम के मापन में और पैनापन लाने के लिए प्रथम समय समूह (टाइम बकेट)

(मौजूदा 1-14 दिन के) को तीन समय समूहों अर्थात् अगले दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिनों में विभाजित कर दिया है। इन तीनों समय समूहों के अधिकतम विशुद्ध संचयी ऋणात्मक अंतर को संचयी नकदी प्रवाह के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत पर निर्धारित कर दिया गया है।

रिज़र्व बैंक ने सभी इकाइयों को गैर-जमानती एक दिवसीय बाजार निधि का लाभ देने में निहित जोखिम को स्वीकार किया है और इसलिए केवल बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को ही एक दिवसीय गैर जमानती बाजार निधि की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी है। अगस्त 2005 से एक दिवसीय मांग बाजार पूरी तरह से विशुद्ध अंतर-बैंक बाजार है। तदनुसार, कारोबार एक दिवसीय गैर-जमानती बाजार से संपार्श्विक बाजार की ओर शिफ्ट हो गया है।

बैंकों का व्यापक अंतर-गठजोड़ और मांग-मुद्रा उधार पर बढ़ती निर्भरता से प्रणालीगत समस्या पैदा हो सकती है । इसलिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों के मांग-मुद्रा बाजार में उधार लेने और देने की सीमा तय करने के लिए विवेकपूर्ण उपाय लागू किए हैं। लेखा-परीक्षा किए गए नवीनतम तुलनपत्र में औसत पाक्षिक आधार पर बकाया मांग बाजार उधार पूंजीगत निधि (अर्थात् टीयर I एवं टीयर II पूंजी का कुल जोड़) के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

'क्रय की गई अंतर-बैंक देयताओं' की प्रणाली समस्याएं उत्पन्न करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने मार्च 2007 में दिशानिर्देश जारी किये जिसमें कहा गया कि किसी भी बैंक की अंत-बैंक देयता उसकी निवल आस्ति के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए (जिन बैंकों का सीआरएआर 11.25 प्रतिशत से अधिक हो उनके लिए 300 प्रतिशत)।

प्रस्ताव 2. पारदर्शिता और मूल्यन को बढ़ाना

(i) व्यापक जोखिम प्रकटीकरण :

- *एफएसएफ वित्तीय संस्थाओं को प्रेरित करता है कि वे 2008 की अपनी मध्यावधि रिपोर्टों में प्रकटीकरण की प्रमुख पद्धतियों का उपयोग करते हुए व्यापक जोखिम प्रकटीकरण करें।*
- *बासेल II के स्तंभ 3 के अधीन प्रकटीकरण अपेक्षाओं में मजबूती लाने के लिए और दिशानिर्देश वर्ष 2009 तक जारी कर दिये जायेंगे।*

(ii) तुलनपत्र से इतर उपायों और मूल्यन के लिए मानक :

मानक निर्धारित करने वाले निम्नांकित के लिए तुरन्त कार्रवाई करेंगे:

- *तुलनपत्र से इतर उपायों के वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों में सुधार करेंगे और उन्हें दिशा प्रदान करेंगे;*

बाजारों के निष्क्रिय होने की स्थिति में मूल्यन के लिए दिशानिर्देश तय करना, वर्ष 2008 में एक विशेषज्ञ परामर्शदायी पैनल स्थापित करना।

(iii) संरचनागत उत्पादों में पारदर्शिता :

बाजार के भागीदार तथा प्रतिभूतियों के नियामक प्रतिभूत उत्पादों और उनकी अंतर्निहित आस्तियों के बारे में प्रदत्त सूचना का विस्तार करेंगे।

स्थिति

पिछले कुछ वर्षों के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विभिन्न लिखतों/आस्तियों के मूल्यन के बारे में दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने कुछ ऐसी प्रकटीकरण अपेक्षाएं विकसित की हैं जिनकी सहायता से बाजार सहभागी पूंजी पर्याप्तता, जोखिम संकट, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं और मूलभूत कारोबारी मानकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं और जिसमें एक सुसंगत एवं आसान प्रकटीकरण ढांचा उपलब्ध होता है ताकि तुलना करने में आसानी हो। बैंकों के लिए यह भी जरूरी है कि वे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया द्वारा लेखाकरण नीतियों के प्रकटीकरण पर जारी किये गये लेखाकरण मानकों का पालन करें ।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि बाज़ार अनुशासन सुरक्षित तथा सुदृढ़ बैंकिंग वातावरण सृजित करने में अपना योगदान कर सकता है तथा बासल II समझौते को कार्यान्वित करने के लिए चल रहे प्रयास के एक हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक ने न्यूनतम पूंजी अनुपात (पिलर I) तथा बाज़ार अनुशासन (पिलर 3) पर दिशानिर्देश अप्रैल 2007 तथा पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (पिलर 2) पर दिशानिर्देश मार्च 2008 में जारी किए थे । इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर वित्तीय दण्ड सहित अन्य दण्ड लगाए जाएंगे ।

प्रस्ताव 3. क्रेडिट रेटिंग की भूमिका एवं उपयोग में परिवर्तन

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को :

- *रेटिंग संरचित उत्पादों में हितों के टकराव का समाधान करने तथा रेटिंग प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों हेतु कनडक्ट फन्डामेंटल्स का संशोधित आईओएससीओ संहिता कार्यान्वित करनी चाहिए;*

- *संरचित ऋण उत्पादों की रेटिंग को बाण्डों की रेटिंग से अलग रखना चाहिए तथा जो सूचना वे प्रदान करते हैं उसे विस्तारित करना चाहिए ।*

विनियामक विनियमन तथा विवेकपूर्ण ढांचों में रेटिंग एजेंसियों को दी गई भूमिकाओं की समीक्षा करेंगे

स्थिति

रिज़र्व बैंक ने पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पहचान करने की एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाई है जिनकी क्रेडिट रेटिंग का इस्तेमाल बैंक ऋण जोखिम के लिए ऋण भार देने हेतु किया जा सकता है । बैंकों को जोखिम भार निर्धारण तथा जोखिम प्रबंधन प्रयोजन दोनों के लिए प्रत्येक प्रकार के दावे के मामले में चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और उनकी रेटिंग का लगातार इस्तेमाल करना चाहिए । बैंकों को विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त मूल्यांकनों के ज्मनमाने चयनट की अनुमति नहीं है । यदि किसी बैंक ने किसी ज्ञात प्रकार के दावे के लिए कुछ चुनिंदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है तो इस तथ्य के बावजूद कि इनमें से कुछ दावों की रेटिंग अन्य चुनिंदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की जा सकती है जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल न करने का बैंक ने निर्णय लिया है, वह उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का केवल इस्तेमाल कर सकता है । एक कार्पोरेट समूह के भीतर एक संस्था के बाहरी मूल्यांकन का इस्तेमाल उसी समूह के भीतर अन्य संस्थाओं के जोखिम भार के लिए नहीं किया जा सकता ।

बैंकों को उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम अनिवार्य रूप से प्रकट करना चाहिए जिनका इस्तेमाल वे अपनी आस्तियों का जोखिम भार निर्धारण करने में करते हैं, उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष रेटिंग ग्रेडों के साथ संबद्ध जोखिम भार को प्रत्येक पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए मैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से तथा यथापेक्षित संपूर्ण जोखिम भारित आस्तियों को प्रकट करना चाहिए ।

भारत में, संश्लिष्ट प्रतिभूतिकरण जैसी ज़टिल संरचनाओं की अभी तक अनुमति नहीं दी गई है । ऐसे उत्पादों के शुरू होते ही रिज़र्व बैंक यथावश्यक सक्षम विनियामक ढांचा स्थापित करेगा जिसमें रेटिंग एजेंसियों की भूमिका तथा क्षमता निर्माण को क्रम बद्ध करना शामिल है ।

प्रस्ताव 4. जोखिमों के प्रति प्राधिकारियों की संवेदनशीलता को मज़बूत करना

- *प्रत्येक विशालतम वैश्विक वित्तीय संस्था के लिए 2008 के अंत तक पर्यवेक्षकों का एक मंडल गठित कर दिया जाएगा ।*

स्थिति

भारतीय संदर्भ में रिज़र्व बैंक तथा कुछ अन्य विदेशी पर्यवेक्षकों/ विनियामकों के बीच विशेष मुद्दों पर पर्यवेक्षी सूचनाओं का आदान-प्रदान हुआ है। पर्यवेक्षी सहयोग सुगमतापूर्वक तथा सक्षमतापूर्ण ढंग से चल रहा है ।

अक्तूबर 2007 की मध्यावधि समीक्षा में विदेशी पर्यवेक्षण तथा विदेशी विनियामकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग के लिए एक उपयुक्त ढांचा अपनाने का रोडमैप बनाने के लिए कार्य समूह के गठन की घोषणा की गई थी जो बैंकिग पर्यवेक्षण पर समिति में कल्पित ढांचे के अनुरूप है । मार्च 2008 में एक कार्य समूह का गठन किया गया है जो अपना कार्य अगस्त 2008 तक पूरा कर लेगा । पर्यवेक्षी सहयोग तथा विदेशी विनियामकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के मामले में कानूनी स्थितियों सहित प्रणालियों तथा प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर जैसे देशों के तमाम विदेशी विनियामकों से औपचारिक रूप से संपर्क किया गया है । कुछ देशों से उनकी प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है । इस प्रयोजन के लिए 'पर्यवेक्षी मंडल' की व्यवस्था की जांच भी इस समूह द्वारा की जा रही है ।

प्रस्ताव 5.वित्तीय प्रणाली में दबाव से निपटने हेतु सशक्त व्यवस्थाएं

- *केन्द्रीय बैंक अपने परिचालनात्मक ढांचों में सुधार करेगा और प्राधिकारी दबाव से निपटने के लिए अपना सहयोग मज़बूत करेंगे ।*

स्थिति

रिज़र्व बैंक में दैनिक आधार पर वित्तीय बाज़ारों के कामकाज का निरीक्षण करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था मौजूद है । एक वित्तीय बाज़ार समिति है जो विभिन्न वित्तीय बाज़ारों के कामकाज़ की निगरानी तथा उसका मूल्यांकन करती है । इस प्रकार के निरीक्षण के आधार पर जहां आवश्यक होता है, समुचित एवं त्वरित कार्रवाई की जाती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 और 18 के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के प्रावधान के लिए रिज़र्व बैंक के पास आवश्यक ढांचा है। रिज़र्व बैंक की नियमित चलनिधि प्रबंधन सुविधाओं में वर्तमान सुविधाएँ, जैसे एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त और चलनिधि सुविधा के अतिरिक्त चलनिधि समायोजना सुविधा, खुले बाजार परिचालन और बाजार स्थिरीकरण सुविधा शामिल हैं। रिज़र्व बैंक दिन-प्रतिदिन सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन और अंतिम ऋणदाता के तहत बैंकों को आपातकालीन चलनिधि सहायता हेतु चलनिधि के प्रावधान/अवशोषण के लिए

वास्तविक वाणिज्यिक या कारोबारी लेन-देन के लिए केंद्र या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद /बिक्री कर सकता है, भारत में देय विनिमय बिल और वचन पत्र की बिक्री और पुनर्भुनाई कर सकता है।

कमजोर और डूबते बैंकों से निपटने के लिए वर्तमान विधि ढांचे में रिज़र्व बैंक समर्थ है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारत में जमा राशि बीमा कवर उपलब्ध कराता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 44(ए) और 45 में क्रमश: बैंकों के स्वैच्छिक समामेलन और अनिवार्य विलय के लिए विधिक प्रावधान किए गए हैं। निजी क्षेत्र के कई कमजोर बैंकों के स्वस्थ बैंकों के साथ विलय से प्रणाली की समग्र स्थिरता में सुधार हुआ है।

स्रोत : वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य, भारतीय रिज़र्व बैंक।